समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

— :: आदेश :: —

संयुक्त/अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्र संख्या--23/आ०प्र० दिनांक 29.05.2017, 47/आ0प्र0 दिनांक 13.07.2017, 92/आ0प्र0 दिनांक 21.09.2017 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष—2017--18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष—2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष--02—बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष—101—अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष--0016— राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान का भुगतान, विपत्र कोड--एन—2245021010016 विस्तृत शीर्ष— 37 अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 01 अनुग्रह अनुदान, मांग संख्या 39 के अन्तर्गत मो० 24,00,000.00 + 1,92,00,000.00 + 96,60,000.00 कुल 3,12,60,000.00 (तीन करोड़ बारह लाख साठ हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। अंचल पदाधिकारी, फलका को पूर्व में उपावंटित राशि में से उनके द्वारा ज्ञापांक 222/दिनांक 03.09.2018 के माध्यम से प्रत्यार्पित की गई राशि एवं अवशेष राशि को निम्नाकित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को उनके नाम के सामने वर्तमान में अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय अधिसूचना सं0 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.2015 के आलोक में स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत राज्य की विशेष स्थानीय की प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान (सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से एवं बज्रपात से) मृत व्यक्तियों के आश्रितों को करना सुनिश्चित किया जाय। उपावंटित राशि उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिशिचित करेंगे।

प्रभावित/पीड़ित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नहीं रखेगें तथा व्यय नही होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2018 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेगें। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक--2561/वि0(2) दिनांक—17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का मिलान महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना से नियमित रूप से किया जाय, इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा0 ही जिम्मेदार होगे।

क्र०	संबंधित अंचल पदाधिकारी	मृतक व्यक्तियों की संख्या एव नाम	मृत पशुओं की संख्या /पशु स्वामी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	अंचल फलका का ज्ञापांक 22/09.03.18 द्वारा प्रत्यार्पित	कॉलम 5–6 का योग	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कटिहार	03		12,00,000.00	-	12,00,000.00	-	12,00,000.00	
2	हसनगंज	02		8,00,000.00	-	8,00,000.00	-	8,00,000.00	
3	प्राणपुर	02		8,00,000.00	-	8,00,000.00	-	8,00,000.00	
4	कोढा	11	2	44,60,000.00	-	44,60,000.00		44.60,000.00	
5	फलका	10		40,00,000.00	8,00,000.00	32,00,000.00	-	32,00,000.00	
6	समेली	07		28,00,000.00	-	28,00,000.00	-	28,00,000.00	
7	कुर्सेला	06		24,00,000.00	-	24,00,000.00	-	24,00,000.00	
8	वरारी	05		20,00,000.00	-	20,00,000.00	-	20,00,000.00	
		बिन्देश्वरी यादव		-	-	-	4,00,000.00	4,00,000.00	
		प्रिंस कुमार		-	-	-	4,00,000.00	4,00,000.00	
9	मनसाही	01		4,00,000.00	-	4,00,000.00	-	4,00,000.00	
10	मनिहारी	08		32,00,000.00		32,00,000.00		32,00,000.00	
		सिमिया देवी	-	-	-	-	4,00,000.00	4,00,000.00	
11	अमदाबाद	07		28,00,000.00		28,00,000.00	-	28,00,000.00	
12	बारसोई	05		20,00,000.00	-	20,00,000.00	-	20,00,000.00	
13	बलरामपुर	02		8,00,000.00		8,00,000.00	-	8,00,000.00	
14	आजमनगर	02		8,00,000.00	-	8,00,000.00	-	8,00,000.00	
15	कदवा	06		24,00,000.00	-	24,00,000.00	-	24,00,000.00	
	कुल—			3,08,60,000.00	8,00,000.00	3,00,60,000.00	12,00,000.00	3,12,60,000.00	0.00

28/9/2018

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक [illegible] / आ०प्र०, II-01/2017-18 दिनांक २८/०३/१८

प्रतिलिपि– अंचल पदाधिकारी, बरारी एवं मनिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।